कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 138/16 तिथि–24.08.2016

लालजी राय एवं सात अन्य बनाम पं0रो0से0, कोरीगामा एवं कार्य0 पदा0, मोतीपुर

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री लालजी राय एवं सात अन्य द्वारा दिनांक–09.07.2016 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक परिवाद दायर किया गया। श्री लालजी राय सहित आठों परिवादियों ने कोरीगामा पंचायत में मनरेगा अंतर्गत 100 दिन कार्य किया है। एक परिवादी ने काम का वर्ष 2011–12 उल्लेख किया है। उक्त आठों परिवादियों में से मात्र दो ने अपना हस्ताक्षर किया है तथा एक ने अंगूठे का निशान लगाया है। शेष पाँचों परिवादियों ने अपने अभ्यावेदन में न तो हस्ताक्षर किया है और न ही किसी तरह का निशान ही लगाया है। इसके आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, मोतीपुर तथा पंचायत रोजगार सेवक, कोरीगामा को नोटिस जारी की गयी। इसके जवाब में पंचायत रोजगार सेवक, कोरीगामा ने प्रतिवेदित किया है कि उन्होंने शिकायतकर्त्ताओं से सम्पर्क किया तथा उनसे संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। शिकायतकर्त्ताओं यथा रामजन्म पंडित, लालजी राय/गीता देवी, सीताराम पंडित द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अंनजाने में गलती से इस तरह परिवाद दायर कर दिया गया है। साथ ही अन्य परिवादी यथा रामपुकार भगत, देवंती देवी एवं शांति देवी का भुगतान किया जा चुका है। शेष परिवादियों द्वारा किए गए कार्य का अभिलेखीय साक्ष्य कार्यालय को अप्राप्त है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या परिवादी श्री लालजी राय एवं अन्य सातों ने मनरेगा अंतर्गत काम किया है? यदि हाँ तो क्या उनका भुगतान हुआ है?

–: निष्कर्ष :–

पंचायत रोजगार सेवक, कोरीगामा ने तीन मजदूरों का भुगतान कर दिया है तथा तीन अन्य द्वारा अनजाने में गलती से परिवाद दायर करने की बात स्वीकार की गयी है जिसका साक्ष्य भी समर्पित किया गया है। शेष दो परिवादियों का अभिलेखीय साक्ष्य अनुपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है। ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि पाँच परिवादियों के अभ्यावेदन अस्पष्ट है। इस प्रकार यह परिवाद खारिज की जा सकती है।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है।

ह0/

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 26 / मुज0,दिनांक– 24/08/2016

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय
24.8.2016
लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

लोकपाल मनरेगा मुजफ्फरपुर

D/DRDA/Damodar/Lokpal ap...

कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 130 / 15 तिथि–23.08.2016

श्याम सुन्दर झा बनाम कार्य0 पदा0,गायघाट एवं पं0रो0से0, लदौर (गायघाट)

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री श्याम सुन्दर झा ने दिनांक–01.06.2015 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक परिवाद दायर किया। गायघाट प्रखंड के लदौर पंचायत में मेन रोड से बिनोद साह के घर तक मिट्टी भराई एवं सोलिंग के कार्य में परिवादी ने पाँच दिन (दिनांक–26.06.2013 से 30.06.2013 तक) काम किया जिसका भुगतान लंबित रहने का आरोप है। इस परिवाद के आलोक में कार्यक्रम पदाधिकारी, गायघाट एवं पंचायत रोजगार सेवक, लदौर को नोटिस जारी की गयी। इसके जवाब में कार्यक्रम पदाधिकारी, गायघाट ने प्रतिवेदित किया है कि परिवादी एवं अन्य के द्वारा बैंक खाता उपलब्ध कराने के पश्चात् संबंधित सभी जॉबकार्डधारी मजदूरों का कम्प्यूटरीकृत वेजलिस्ट को ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के अनुमोदनोपरांत भुगतान सुनिश्चित कर दिया जाएगा। पुनः कार्यक्रम पदाधिकारी, गायघाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी श्री झा को एफ0टी0ओ0 के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। संबंधित एफ0टी0ओ0 की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

क्या परिवादी श्याम सुन्दर झा ने मनरेगा अंतर्गत काम किया है? यदि हाँ तो क्या उनका भुगतान हुआ हैं?

–: निष्कर्ष :–

कार्यक्रम पदाधिकारी, गायघाट द्वारा परिवादी को भुगतान कर दिया गया है। साक्ष्य स्वरूप एफ0टी0ओ0 नं0 की छायाप्रति संलग्न की गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि परिवादी को भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार यह परिवाद खारिज की जा सकती है।

–: आदेश :–

उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में इस वाद को खारिज किया जाता है।

ह0

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 25 / मुज0,दिनांक– 23/08/2016

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

रमेन्द्र नाथ राय
23.8.16

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/DRDA/Damodar/Lokpal app…